


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


—:: कार्यालय आदेश ::—

राज्य सरकार विकलांग वाहन भत्ता नियम-1976 के अन्तर्गत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ. 10(4) गुप-2/एफ.डी./76 दिनांक : 13.10.84 एवं संशोधित आदेश दिनांक: 18.08.89, 02.05.98, 12.09.08 एवं एफ. 6(6) एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक: 25.04.12 के अन्तर्गत श्री अजीत सिंह चौधरी, व्याख्याता गृह विज्ञान, रा.बा.उ.मा.वि., दूदू जयपुर को इनके आवेदन की दिनांक: 20.11.2020 से उनके मूल वेतन का 6 प्रतिशत जो अधिकतम रूपये 600/- (अखरे रूपये छः सौ मात्र) तक प्रतिमाह की दर से विकलांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों का उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा निलम्बित अवधि का विकलांग भत्ता देय नहीं होगा।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

- क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/विकलांग भत्ता/2019-20 दिनांक : 18/12/2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
 2. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
 3. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
 4. सम्बन्धित संस्था प्रधान को उक्त कार्मिक का मूल विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है। (रजिस्टर्ड)
 5. सम्बन्धित कार्मिक.....
 6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
 7. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर